राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 58/2012/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, कोटा. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स न्यू इण्डिया बिल्डर्स, गुमानपुरा, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

2. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 896/2012/कोटा.

मैसर्स न्यू इण्डिया बिल्डर्स, गुमानपुरा, कोटा. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, कोटा. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.02.2018

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपील/क्रॉस आब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 43/वेट/10–11/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.07.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। राजस्व की अपील के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(2) के तहत पारित किये गये आदेश **दिनांक 31.03.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था एवं वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. उपरोक्त सभी अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रार्थना–पत्रों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2007—08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति सहित मांग रुपये 1,38,659/— कायम की गई थी। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2011 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुये शास्ति को अपास्त किया गया एवं अन्य बिन्दुओं पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा कर के बिन्दु पर क्रॉस आब्जेक्शन एवं विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. प्रार्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 58 के तहत विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के आधार पर जो शास्ति आरोपित की गयी थी वह बिना सुनवाई का अवसर दिये आरोपित किये जाने के आधार पर अपास्त कर दी गयी थी, जबकि माननीय कर बोर्ड की अन्य एकलपीठ के निर्णय गांधी ब्रदर्स सिरोही की अपील संख्या 1771/2013/सिरोही निर्णय दिनांक 09.09.2014 में यह निर्णय किया गया है कि बिना सूचनापत्र के आरोपित शास्ति का आरोपण किये जाने को अपास्त करने को अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की थी, परन्तु उसमें पुनः शास्ति आरोपित करने से पूर्व सूचनापत्र जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। अतः इस निर्णय के आधार पर इस आदेश दिनांक 06.07.2011 द्वारा अपास्त की गई शास्ति को पुनः बहाल करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि व्यवहारी ने ठेका कार्य में वास्तविक रुप से काम आये सामान की पूर्ण खरीद प्रदर्शित की है लेकिन फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच व आधार के सामान की खरीद में खर्चे व लाभ जोड़ते हुये कर का आरोपण किया है, जो कि अविधिक है। अतः उन्होनें प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन को स्वीकार करते हुये आरोपित कर को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में धारा 58 की शास्ति को पूर्ण विचार एवं विवेचन के साथ अपास्त किया गया है, जिसमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना मुख्य आधार बताया गया था। माननीय कर बोर्ड के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधिक रूप से आवश्यक

लगातार.....3

है, जिसका इस प्रकरण में अभाव है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक आरोपित कर के बिन्दु का प्रश्न है उस संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पुनः आदेश दिनांक 14.11.2011 को पारित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना में आदेश पारित होने से उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। फलतः इस बिन्दु पर क्रॉस आब्जेक्शन खारिज किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील व क्रॉस आब्जेक्शन अस्वीकार किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य